संख्या-14/2024/I/483599/2024/002-001-77-3002-003/20-2023

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 01/02/2024

विषय:- डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ नोड में ग्राम भटगांव तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-8/2024/I/475820/2024/001-77-3-002-003-20-2023,दिनांक 18.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ नोड में ग्राम भटगांव तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य की आंकलित लागत रू0 4518.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागत के सापेक्ष रू0 2820.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा के पत्र संख्या-2227 यूपीडा, दिनांक 30.01.2024 द्वारा यह अवगत कराते हुए कि यूपीडा के डीडीओ कोड 6014 से सीधे जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में धनराशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ नोड में ग्राम भटगांव तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य हेतु स0 2820.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ के डीडीओ कोड में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3;   अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18.01.2024 द्वारा डिफेंस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के लखनऊ नोड में ग्राम भटगांव तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ की कुल 35.6677 हे0 भूमि के अर्जन कार्य की आंकलित लागत रू0 4518.74 लाख शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 2820.00 लाख निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त भूमि के अर्जन हेत यह सुनिश्चित किया जाय कि डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु अधिसूचना संख्या-154/77-3-2023-62एम-2022, दिनांक 25.01.2023 द्वारा घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र का किसी भी दशा में अतिक्रमण न हो।

(2) उक्त धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के डिपाजिट खाते में जमा करायी जायेगी।

(3) भूमि क्रय हेतु आवंटित उक्त धनराशि का जिलाधिकारी,लखनऊ के डिपाजिट खाते से आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(4) उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना की स्थापना हेतु लखनऊ नोड के लिए भूमि क्रय हेतु आवश्यक कुल धनराशि रू0 4518.74 लाख के सापेक्ष उक्त धनराशि (रूपये 2820.00लाख की वित्तीय स्वीकृ्ृति के पश्चात अवशेष धनराशि का व्यय पहले से उपलब्ध धनराशि रू01700.00 लाख से किया जायेगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय यूपीडा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) शासनादेश संख्या-8/2024/I/475820/2024/001-77-3-002-003-20-2023,दि0-18.01.2024 की शेष शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,20,00,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट , लखनऊ।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
9.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
12. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
15. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।